

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी डी०डीओ०, श्रम विभाग।

क्रमांक: स्था०/०२/२०२४/३३६५०-७०५ दिनांक: २०/१२/२०२४

विषय : नव नियुक्त श्रम निरीक्षकों व लिपिकों का डाटा एच०आर०एम०एस० पर पूर्ण न होने बारे।

उपरोक्त विषय के संन्दर्भ में।

विषय सम्बंध में सूचित किया जाता है कि एच०आर०एम०एस० पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का अवलोकन करने उपरान्त पाया गया कि कुछ नव नियुक्त श्रम निरीक्षकों व लिपिकों का डाटा एच०आर०एम०एस० पर पूर्ण नहीं है। कार्यालय द्वारा श्रम निरीक्षको, सहायकों व लिपिकों की ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति को अमल में लाया जाना है। कर्मचारियों का डाटा पूर्ण न होने के कारण कार्यालय को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी नव नियुक्त श्रम निरीक्षको व लिपिकों के डाटा का पूर्ण इन्द्राज एच०आर०एम०एस० पर आज दिनांक २०.१२.२०२४ तक पूर्ण करें, अन्यथा मामला श्रम आयुक्त महोदय के ध्यान में ला दिया जायेगा।



नोडल अधिकारी, एच०आर०एम०एस०

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

